रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

B
19.12.83

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 1983/कार्तिक 16, 1905

No. 186] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 1983/KARTIKA 16, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1983

संकल्प

संख्या टी. 11012/ 83-सी सी डी —भारत सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ट उन्मूलन [illegible] के मार्ग निर्देशन और निगरानी के [illegible] स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय [illegible], 1983 के संकल्प संख्या टी 11012/3/83-सी.सी.डी. के तहत राष्ट्रीय कुष्ट उन्मूलन आयोग का गठन किया [illegible]। इस आयोग का गठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के [illegible] जुलाई, 1983 के संकल्प संख्या टी. 11012/3/83-सी.सी.डी. [illegible] अधिसूचित किया गया है। इसके पांच सदस्य मुख्य मंत्रियों में से चार को पहले ही मनोनीत किया जा चुका है और अब इस आयोग के पांचवें सदस्य मुख्य मंत्री के रूप में आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को दो वर्ष के लिये मनोनीत करने का फैसला किया गया है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री और राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री के कार्यालय [illegible] सचिवालय और केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों [illegible]।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया [illegible]।

एस. वी. सुब्रामणियम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 26th October, 1983

RESOLUTION

No. T. 11012/3/83-CCD.—Government of India have set up a National Leprosy Eradication Commission for the guidance and surveillance of

National Leprosy Eradication Programme vide Ministry of Health and Family Welfare Resolution No. T. 11012|3|83-CCD dated 19th April, 1983. The constitution of the Commission has been notified under Ministry of Health and Family Welfare Resolution No. T. 11012|3|83-CCD dated 8th July, 1983 Out of the five Chief Ministers members four have already been nominated and it has now been decided to nominate the Chief Minister of Andhra Pradesh as the fifth Chief Minister Member of the Commission for a period of two years.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chief Minister of Andhra Pradesh and to the President Secretariate, the Vice President Secretariat, the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariate and All Ministries|Departments of the Central Government and State Governments|UTs.

Ordered also that the Resolution be published in Gazette of India Extraordinary for general information.

S. V. SUBRAMANIYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983